Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक), जोधपुर CNR NUMBER 2021/171

Number of Case A/310/ Year 2024

मीनाक्षी Versus छगनसिंह व अन्य

U/S- 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
11/03/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र अन्तर्गत 212 R.T.A 1955 हेतु आयंदा दिनांक - 19/03/2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
19/03/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A 1955 हेतु समय चाहते हैं। न्यायहित में अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा - 212 R.T.A 1955 हेतु आयंदा दिनांक - 07/04/2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
07/04/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। वकुलाय बहस प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A 1955 पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश सुनाने हेतु आयंदा दिनांक - 22/04/2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
22/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय पर	

Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक), जोधपुर

CNR NUMBER 2021/171

Number of Case A/310/ Year 2024

मीनाक्षी Versus छत्तरसिंह व अन्य

U/S – 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	मनन किया गया तथा संगत विधिक प्रावधानो का अध्ययन किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार परप्रार्थी का प्रा०पत्र भली-भांती साबित न होने एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
	(मुहर) सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : मधुलिका सींवर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. : A/310/2024 (GCMS No 2021/171)

– : : **अनवान्** : : –

प्रार्थीनी :–

श्रीमती मीनाक्षी पत्नी श्री दीपक काकरिया जाति जैन उम्र 38 वर्ष, निवासी शक्ति नगर, पावटा सी रोड जोधपुर।

– : **बनाम्** : –

अप्रार्थीगण :–

1. छत्तरसिंह पुत्र श्री तेजसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देसूरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर।
2. श्रीमती उगम कंवर उर्फ मुनी कंवर पत्नी श्री छत्तर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देसूरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर।
3. नाथुसिंह पुत्र श्री छत्तरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देसूरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर।
4. नारायण सिंह पुत्र श्री छत्तरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देसूरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर।

– : : **निर्णय** : : – **दिनांक : 22.04.2026**

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्तागण –

1. श्री अक्षय कुमार दवे, नवीन शर्मा, मनोहरसिंह व संजना धाणदिया अधिवक्तागण प्रार्थीनी
2. श्री प्रताप सिंह राठौड़, ईश्वर सिंह व मिनाक्षी अधिवक्तागण अप्रार्थी सं. 01 से 04

उपरोक्तानुसार प्रार्थीनी/वादीनी ने जरिये अधिवक्तागण एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है कि –

प्रार्थीनी की खातेदारी की कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि वाके खसरा नं 94/6 रकबा 1 बीघा ग्राम देसूरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है जिस भूमि के पूर्व खातेदार काश्तकार श्री गणपत सिंह पुत्र श्री गोपाराम, जाति गाली एवं श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री अम्बालाल थे। श्री गणपसिंह द्वारा स्वयं एवं गिरधारी लाल के आम मुख्त्यार की हैसियत से उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि रकबा 141 बीघा 6 बिस्वा 16 बिस्वासी में से 4 चक की कुल भूमि 4891.24 वर्गफुट भूमि

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

का विधिवत रूप से दिनांक 30/3/2013 को विक्रय कर उसका कब्जा भी प्रार्थीनी को बरवक्त विक्रय सुपुर्द कर दिया, तब से प्रार्थीनी अपनी खरीदरसुदा उपरोक्त 4891.24 वर्गफुट भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज है। पूर्व खातेदार द्वारा अपनी उपरोक्त खसरा नं 94/6 ग्राम देसूरिया खारोलान सम्पूर्ण भूमि को रास्ते की भूमि छोड़ते हुए चक में विभाजित करते हुए विक्रय किया गया था जिसके अनुसार प्रार्थीनी द्वारा चक संख्या पांच से आठ कुल रकबा 4891.24 वर्गफुट खरीद की गई थी। अप्रार्थी संख्या दो स्वयं को खसरा नं 94/6 की कृषि भूमि की उत्तरी दिशा की खातेदार दर्शा रही है एवं स्वयं के हिस्से की भूमि मूल खसरा नं 6 होना बता रही है। अप्रार्थी संख्या एक अप्रार्थी संख्या दो का पति है एवं बकाया अप्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या एक व दो के पुत्र है, जो आपस में षड़यंत्र कर प्रार्थीनी की भूमि हड़पने की फिराख में है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थीनी की खरीदशुदा भूमि के पश्चात् उत्तर दिशा में खसरा संख्या 94/6 के दीगर क्रेतागण की खरीदशुदा की भूमि है जिस पर उक्त क्रेतागण द्वारा अपने रहवासीय एवं अन्य ठाव भी बने हुए है जिस भूमि पर वे व्यक्ति काबिज है तथा उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं। खसरा नं 94/6 बाबत् अप्रार्थीगण का आज दिन तक किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं रहा है। उपरोक्त खातेदारी की वादग्रस्त भूमि के उत्तर पूर्व में सम्पूर्ण भूमि पर सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य भी कर रखा है। अप्रार्थीगण अवैध व अनाधिकार रूप से प्रार्थीनी की खरीदसुदा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। इसी सिलसिले में अप्रार्थीगण ने एकराय होकर हमला बोल दिया एवं पूर्व से सुरक्षा की दृष्टि निर्मित दीवार को भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त कर दिया जिसकी जानकारी प्रार्थीनी को उसके पति के जरिये दिनांक 23/7/2021 को हुई जिस बाबत् प्रार्थीनी द्वारा अपने पति दीपक जैन के जरिये एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 101 दिनांक 25/7/2021 पुलिस थाना करवड़ में दर्ज करवाई। अप्रार्थीगण द्वारा की गई उपरोक्त अवैध कार्यवाही के बाबत् प्रार्थीनी द्वारा अपने पति के जरिये दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया था कि अप्रार्थीगण द्वारा अवैध व अनाधिकार रूप से वादग्रस्त भूमि पर स्थित दीवार तोड़ दी है तथा निर्माण सामग्री चोरी करके लेकर चले गये है जिससे प्रार्थीनी एवं दीगर क्रेतागण को करीब 20000/– रूपये का नुकसान भी हुआ है। अप्रार्थीगण को समझाइश करने का प्रयास किया गया किन्तु अप्रार्थीगण अत्यधिक आकोशित होकर प्रार्थीनी एवं उसके परिवार के व्यक्तियों के साथ लड़ाई–झगड़ा व दंगा फसाद करने लगे। अप्रार्थीगण आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है जो संख्या बल में अधिक होने के कारण प्रार्थीनी उनका सामना नहीं कर सकती। अप्रार्थीगण प्रार्थीनी की किसी प्रकार की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है एवं वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण खसरा नं 6 की भूमि दर्शाकर स्वयं को उसका खरीददार बता रहे हैं तथा अवैध व अनाधिकार रूप से प्रार्थीनी की खसरा नं 94/6 की 4891.24 वर्गफुट भूमि से प्रार्थीनी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर

को बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को भूखण्डों में विभाजित कर खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। प्रार्थीनी के बार–बार निवेदन पर भी अप्रार्थीगण नहीं मान रहे हैं। अप्रार्थी संख्या एक स्वयं एक आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जिसके पास काफी मात्रा में असामाजिक तत्व भी है जिनके सहयोग से वह किसी भी समय वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर सकते है व निर्माण कार्य कर सकते हैं जिसकी धमकियां अप्रार्थीगण प्रार्थीनी को दी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी के पास यह वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। उपरोक्तानुसार प्रार्थीनी के हक में सुदृढ़ प्रथम दृष्टया याद सिद्ध है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि या उसके किसी हिस्से पर अवैध व अनाधिकार रूप से कब्जा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे अप्रार्थीगण स्वयं या अपने किसी रिश्तेदार मुख्त्यार एजेन्ट ठेकेदार या मजदूर अथवा अन्य किसी के द्वारा प्रार्थीनी की खसरा नं 94/6 ग्राम देसुरिया खारोलान तहसील व जिला जोधपुर की खरीदशुदा भूमि जिसके पड़ोस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में उल्लेखित किये गये है, कि भूमि या उसके किसी हिस्से पर कोई दखलअन्दाजी हस्तक्षेप निर्माण कार्य व हस्तान्तरण ना तो स्वयं करे एवं ना ही अन्य के मार्फत करावे। हर्जा खर्चा दीगर दादरसी लाभप्रद प्रार्थीनी अप्रार्थीगण से दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रताप सिंह राठौड़ एवं मिनाक्षी सिंह ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी सं. 01 से 04 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया हैं कि –

पद संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीनी ने एक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा में जरूर पेश किया है जो गलत तथ्य पेश किया है जिसे उसे सफलता मिलने की कतई उम्मीद नही है। पद संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है प्रार्थीनी का कोई कब्जासुदा खेत वाके देसुरिया में नही आया हुआ है। गणपत सिंह ने 141 बीघा भूमि का किस किस को बेचान किया उसकी जानकारी अप्रार्थीगणको नही है गणपत सिंह के खेत में कितनी भूमि थी इसकी जानकारी भी अप्रार्थीगण को नहीं है, मौके पर इस प्रकार की भूमि नहीं है और न ही प्रार्थीनी का कब्जा काश्त है मौके पर यह भूमि खेत खसरा संख्या 6 अप्रार्थीगण संख्या 2 के खातेदारी की है जिस पर प्रतिप्रार्थीनी का कब्जा काश्त है जिसके चारो और सीमा सुरक्षित की हुई है और आज दिन भी मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 2 काबिज है तथा मौके पर 94/6 नक्शे में कही दर्ज नही है। प्रार्थीनी का कभी भी मौके पर कब्जा काश्त नहीं था ना ही आज दिन है। बिना कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं होने से काबिले खारिज है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पद संख्या 3 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत होने से अस्वीकार किया जाता है मौके पर खसरा संख्या 94/6 नहीं है इस खेत को चक में विभाजित कर किस किस बेचान इसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं है तथा मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 2 अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 6 पर काबिज है केवल तंग परेशान करने के लिए वाद पेश किया है इस पद में जो पडौस अंकित किए है वो गलत है उक्त खेत मौके पर मेल नहीं खाते मौके पर कोई भी चक आज दिन तक मौजुद नहीं है गणपत सिंह की पत्नी ने भी एक वाद न्यायालय हाजा में पेश किया है जिसने सम्पूर्ण भूमि अपनी बताई है तथा मौके पर सड़क 200 फीट चौडी है प्रार्थीनी द्वारा जो खेत खसरा संख्या 94/6 मुख्य मण्डोर रोड पर बताया गया है वहां पर यह खसरा नही है प्रार्थीनी ने जो जगह बताई है वहां पर खेत संख्या 6 की भूमि आई हुई है तथा उस पर अप्रार्थीगण उगम कंवर रेकर्ड खातेदार काबिज काश्तकार है तथा उसमें दुकाने बनी है बिजली का बिल भी उगम कंवर के नाम से है तथा हल्का पटवारी द्वारा उगम कंवर की खतेदारी व कब्जा माना है तथा खेत खसरा संख्या 94/6 मौके पर नही है और न ही ट्रेस नक्शे में अंकित है फिर भी प्रार्थीनी गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया जो चलने योग्य नही होने से खारिज किए जाने योग्य है। पद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है मौके पर खेत खसरा संख्या 6 की भूमि आई हुई है जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 02 खातेदार काबिज काश्तकार है जिसमें करीब 18 बीघा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 02 उगम कंवर के नाम से है प्रार्थीनी गलत तथ्यों को बताकर अप्रार्थीगण की भूमि हड़पना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है पी डब्ल्यू डी द्वारा सड़क चौडी होने पर उसका मुआवजा अप्रार्थीगण संख्या 2 उगम कंवर को किया था शेष सम्पूर्ण तथा गलत अंकित किए गए है। तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर अप्रार्थीया उगम कंवर का कब्जा माना है तथा खसरा संख्या 94/6 किस जगह आया हुआ है वह ट्रेस नक्शे में अंकित होना नही बताया जा सकता कि किसकी भूमि कहां पर है कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का काबिले खारिज है। पद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है मौके पर इस प्रकार की कोई भूमि खेत खसरा संख्या 94/6 की नहीं आई हुई है और नहीं कोई रहवासीय ढाणी बनी है तथा न ही मौके पर प्रार्थीनी काबिज है अप्रार्थीगण संख्या 2 रेकर्ड खातेदार है जब जोधपुर से नागौर रोड का विस्तार हुआ है उसमें भी नागौर रोड पर जमीन एक्यूर की गयी थी उसमें भी खेत खसरा संख्या 6 अप्रार्थीगण संख्या 2 की आई हुई है तथा उसमें भी मुआवजा भी उगम कंवर को मिला था इससे नागौर रोड पर प्रार्थीनी कोई खेत खसरा संख्या 94/6 नही आया हुआ है। तथा भूखण्डों की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है। पद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है उत्तर पूर्व में किसी प्रकार की कोई बाउण्ड्री वॉल का निर्माण नहीं है इस पद में यह तथ्य गलत अंकित किए गए है केवल मात्र अप्रार्थीगण संख्या 2 को जमीन हडपने के लिए वाद पेश किया गया है जो भूमि बताई गई वो

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

खेत खसरा संख्या 6 है। पद संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है कि इस भूमि में प्रार्थीनी का कही कोई कब्जा काश्त नही रहा या गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था अप्रार्थीगण संख्या 2 के विरूद्ध किसी प्रकार कोई मुकदमा नही है अप्रार्थीगण संख्या 2 खेत के खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है प्रार्थीनी मौके पर काबिज नही है और न ही उनकी कोई भूमि वहां पर आई हुई है। पद संख्या 8 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण ने कभी कोई लड़ाई झगड़ा नही किया जावें। प्रार्थीनी एवं उसके परिवार वालो ने लडाई झगडे किए जिस सम्बन्ध में मुकदमें भूमि काबिज में विचाराधीन है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस पद में लिखी गई भाषा गलत है जब कि अप्रार्थीगण अपने गांव का भूतपूर्व सरपंच है तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है जो अशोभनीय है मौके पर अप्रार्थीगण की दुकाने व बाउण्ड्री बनी हुई है तथा काबिज है तथा उक्त भूमि में सहखातेदार आवश्यक पक्षकार है तथा उनको पक्षकार नही बनाया गया है धारा 211 राज, का. अधि. के प्रावधानो के तहत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश करने पर सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया है इन आधार पर वाद खारिज किए जाने योग्य है। पद संख्या 9 गलत होने से अस्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीनी के हक में प्रथम दुष्टया वाद नही है और नही सुविधा का सतुलन की प्रार्थीनी के पक्ष में है और न ही मौके पर प्रार्थीनी काबिज है इसलिए अपूर्ण क्षति का प्रश्न पैदा नहीं होता जिसकी अप्रार्थीगण संख्या 2 काबिज काश्तकार खातेदार है मौके पर दुकाने बनी हुई है बिजली का बिल अप्रार्थीगण संख्या 2 के नाम है तथा पीडब्ल्यूडी से प्रार्थीया संख्या 02 को मुआवजा मिला था इसलिए प्रथम दृष्ठया मामला सुविधा का संतुलन अपूर्णी हानि अप्रार्थीगण संख्या 2 के पक्ष में है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे को खारिज फरमायें तथा अन्य उचित आदेश हो अप्रार्थीगण के पक्ष में अता फरमावें।.,

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मय दस्तावेजात् व जवाब प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन, अवलोकन किया। संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं :-

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि वादीनी/प्रार्थीनी द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम देसूरिया खारोलान, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 94/6 में से चक संख्या 5 से 8 की कुल 4891.24 वर्गफुट भूमि के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 188 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण निम्नलिखित तीन तत्वों को सिद्ध करें :-

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रकरण में प्रार्थीनी द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 94/6 पर अपने स्वामित्व एवं कब्जे का दावा किया गया है, जो कथित रूप से विक्रय पत्र एवं नामांतरण के आधार पर स्थापित बताया गया है। तथापि अभिलेख के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि भूमि की पहचान, सीमांकन तथा वास्तविक कब्जे की स्थिति विवादित एवं अस्पष्ट है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट रूप से खंडन किया गया है कि विवादित भूमि का वास्तविक खसरा, स्थिति एवं उपयोग भिन्न है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विवरण स्थल–स्थिति से मेल नहीं खाता। यह भी परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा दर्शाई गई भूमि एवं वास्तविक कब्जाधारित भूमि में अंतर होने की संभावना है। इस प्रकार, प्रार्थीनी का दावा स्पष्ट एवं ठोस आधार पर प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होता है, बल्कि सीमांकन सम्बन्धी विवाद एवं तथ्यात्मक अस्पष्टता से युक्त है, जिसका परीक्षण साक्ष्य के विस्तृत मूल्यांकन के पश्चात ही संभव है। अतः इस स्तर पर यह न्यायालय यह मानने में असमर्थ है कि प्रार्थीनी ने प्रथम दृष्टया एक मजबूत एवं संरक्षित किए जाने योग्य अधिकार स्थापित किया है।

2. **सुविधा का संतुलन** :– सुविधा के संतुलन के परीक्षण में यह देखा जाता है कि किस पक्ष को अधिक व्यावहारिक हानि या असुविधा होने की संभावना है। प्रकरण में यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर पूर्व से काबिज होने का दावा करते हैं तथा उनके पक्ष में उपयोग, निर्माण एवं राजस्व अभिलेखों से संबंधित परिस्थितियाँ परिलक्षित होती हैं। यदि इस अवस्था में अप्रार्थीगण को भूमि के उपयोग या कब्जे से रोका जाता है, तो इससे उनके स्थापित उपयोग एवं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत, प्रार्थीनी का दावा अभी पूर्णतः सिद्ध नहीं है तथा भूमि की वास्तविक स्थिति भी विवादित है। अतः केवल संदेह या अपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को प्रतिबंधित करना न्यायसंगत नहीं होगा। इस प्रकार, तुलनात्मक दृष्टि से सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में अधिक अनुकूल प्रतीत होता है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– अपूरणीय क्षति के संबंध में यह आवश्यक है कि प्रार्थीनी यह दर्शाए कि यदि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है, तो उसे ऐसी हानि होगी जिसकी भरपाई धनराशि द्वारा संभव नहीं है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई ठोस एवं प्रत्यक्ष परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उसे ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जो अंतिम निर्णय के पश्चात भी प्रतिकरित न हो सके। यदि प्रार्थीनी वाद में अंततः सफल होता है, तो उसे विधि अनुसार कब्जा, संरक्षण अथवा अन्य उपयुक्त राहत प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अतः इस स्तर पर अपूरणीय क्षति का तत्व भी प्रार्थीनी के पक्ष में स्थापित नहीं होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा. ट्रे.) जोधपुर

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधिक परीक्षण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीनी अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक तीनों आधारभूत तत्वों – प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति – को स्थापित करने में असफल रही है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भंली–भांति साबित नही होने एवं सारवान नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् समझते है।

: : आदेश : :

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भंली–भांति साबित नहीं होने एवं सारवान नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या एक से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मधुलिका सींवर)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मधुलिका सींवर)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर